कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149
Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 568 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 14-08-2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वाराः– निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर ।

विषयः– नन्दासेंण से खेत गधेरा तक मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम मे अवगत करना है कि नन्दासेंण से खेत गधेरा तक जो मोटर मार्ग के रूप मे विघमान है वहाँ से वाहनो की आवाजाही होती है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि के कोरीडोर के अन्दर ही ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाई जानी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्र सं० 4222/28-3-31/1547/76.

प्रेषक – श्री प्रताप सिंह उपसचिव उ० प्र० शासन

सेवा में,

अतिरिक्त (मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय क्षेत्र)
सा० नि० वि० लखनऊ

दि० लखनऊ 23 अगस्त, 1976.

पर्वतीय विकास अनुभाग- 4

विषय – पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण।

महोदय,

उक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्वतीय क्षेत्रों के अग्र जिलों में संलग्न सूची में उल्लिखित सड़कों जिनकी लम्बाई 1174.05 कि० मी० है का निर्माण 25,61,00,000 रु० (पच्चीस करोड़, इकसठ लाख रु० केवल) की लागत पर करने व उतनी ही धनराशि व्यय करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त कार्यों की महत्ता तथा शीघ्रता को देखते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के अनुच्छेद 375 (ए) को शिथिलीकरण को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, ताकि विस्तृत आगणन व्योरेवार नक्शे आदि बनाए हो व बिना प्राविधिक स्वीकृति के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा सके, चालू वित्तीय वर्ष (1976-77) में केवल उतना ही व्यय बिना विस्तृत आगणन व बिना प्राविधिक स्वीकृति के व्यय किया जाय, जितने की स्वीकृत राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर प्रदान की गई है। इस आदेश के जारी होने से इस काम पर विस्तृत आगणन बनाया लिए जावें तथा उस पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।

3- चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के आय व्यय में उपयुक्त व्यय के लिए कोई प्राविधिक प्राविधान नहीं है और चूंकि ये काम अति आवश्यक तथा अपरिहार्य हैं अतः अनुपूरक द्वारा इस काम पर व्यय को स्वीकृत प्राप्त करने तक व्यय के लिए श्री राज्यपाल महोदय ने राज्य आकस्मिक निधि से केवल 8,30,000 (आठ लाख तीस हजार केवल) व्यय अग्रिम लेने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इस अग्रिम का बाद में नियमानुसार अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा प्रतिदान कर दिया जाये।

4- राज्य आकस्मिक निधि के लिए अग्रिम से किये गये समस्त व्यय का सम्बन्ध बिलों, वाउचरों पर मुख्यतः इस शासनादेश का हवाला देते हुये यह अंकित किया जाना चाहिये कि यह आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित हैं, साथ ही उन पर शासनादेश के पैरा 375 (ए) को शिथिलीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आगणन अधिकारी को आकस्मिक निधि से किये गये अग्रिम का लेखा अलग प्रकार रखने के निर्देश दिये जायें जो कि राज्य के संचित निधि से लिए जाने से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में रखा जाता है।

5- उपरोक्त व्यय अन्तिम राज्य सरकार के बजट के वर्ष 1976-77 के लेखा शीर्षक 499 विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत (क)- पर्वतीय क्षेत्रों के विकास,- 1- सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) सड़कों के नाम लिखा जायेगा।

निवेदन है कि इस शासनादेश की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

ह०/ प्रतापसिंह उपसचिव

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित मार्गों की सूची जिस के लिए वर्ष 1976-77 में धन की व्यवस्था की जानी है।

क्रम सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत	वर्ष 1976-77 के लिए प्रस्तावित व्यय	वर्ष 1976-77 राज्य आकस्मिक निधि से धन की आवश्यकता	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
1-	ऋषिकेश-पिंडीवाला, मोजाताल हरसाली धनचूर-नौटी, आइवडी मार्ग,	47 कि० मी०	117 लाख	1.00 लाख	0.10 लाख	आइवडी से नौटी हरसाली की ओर।

सत्य प्रतिलिपि
उ० कि० [illegible]
[illegible] III
[illegible] वि० संरक्षण

8/16/2019

New Doc 2019-08-16 13.44.36_2.jpg

प्रतिलिपि

संख्या 4410-28-4-31/1483/1974

प्रेषक,
प्रतापसिंह उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीमान्त) सा०नि०वि० उ०प्र० लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग -4 दिनांक लखनऊ 7/12/1974

विषय:- पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण।

महोदय,

उक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्वतीय क्षेत्रों के आठों जिलों में संलग्न सूची में उल्लिखित सड़कों के निर्माण के लिये केवल 17,79,98,900/रु० (सत्रह करोड़ उन्नीस लाख अठानवे हजार नौ सौ रु० केवल) का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राज्यपाल महोदय उक्त सड़कों के निर्माण के लिये केवल 17,79,98,900/- रु० (सत्रह करोड़ उन्नीस लाख अठानवे हजार नौ सौ रु० की लागत के आगणनों पर प्रशासकीय अनुमोदन भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त कार्य पर तब तक कोई व्यय न किया जाय जब तक कि उपरोक्त स्वीकृत व्यय के अन्दर ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार न की जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न दे दी जाय।

4- चूँकि चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में उपर्युक्त व्यय के लिये कोई प्राविधान नहीं है और चूँकि ये कार्य अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य है अतः अनुपूरक अधिनियम द्वारा इस कार्य पर व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने तक व्यय के लिये श्री राज्यपाल महोदय ने राज्य आकस्मिकता निधि से केवल 1,63,000/=- रु०(एक लाख तिरसठ हजार रु० मात्र) का अग्रिम देने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान की है। इस अग्रिम का बाद में नियमानुसार अनुपूरक विनियोग अधिनियम प्रतिदान कर लिया जायेगा।

5- राज्य आकस्मिकता निधि से लिये अग्रिम से किये गये समस्त व्यय सम्बन्धित बिलों/वाउचरों पर प्रमुख रूप से इस शासनादेश का हवाला देते हुये यह अंकित किया जाना चाहिये कि यह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। साथ ही उस पर इस शासनादेश के पैरा 6 में अंकित लेखा शीर्षक को भी अंकित किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण अधिकारी को आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम का लेखा उसी प्रकार रखने के निर्देश में दिये जाय जैसा कि राज्य के संचित निधि से लिये जाने से संबंधित व्यय के संबंध में रखा जाता है।

6- उपरोक्त व्यय अन्ततः राज्य सरकार के बजट के वर्ष 1974-75 के लेखा शीर्षक '' 499 विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय आयोजनागत के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास (ख) सड़कें- सार्वजनिक निर्माण'' के नाम लिखा जायेगा।

7- निवेदन है कि इस शासनादेश की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

ह०0 जगदीश प्रतापसिंह उप सचिव।

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता (प्रथम)

संख्या:-4410(1)/28-4-31ए/1483/1974

प्रतिलिपि महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से
(ह०नरेन्द्र जैन) उप सचिव।

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

संख्या 4410(2)/28-4-51ए/1483/1974

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1- जिला मजिस्ट्रेट/चमोली/ उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा/नैनीताल/ पिथौरागढ़

2- अधीक्षण अभियन्ता पीपलकोटी जिला चमोली/उत्तरकाशी, मुरादाबाद मुरादाबाद/नैनीताल/ पिथौरागढ़।

3- अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (नियोजन वर्ग) सा0नि0वि0 लखनऊ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग (नियोजन वर्ग)

संख्या 22पी0एल0/18पी एल0/74 दिनांक लखनऊ जनवरी 8, 1975

शासकीय आदेश संख्या 4410-28-4-31/1483/1974 दिनांक 27-12-74 की प्रति अधीक्षण अभियन्ता 38 वां वृत सा0नि0वि0 पीपलकोटी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0नि0वि0 कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः- उपरोक्त

- - - - - -

उन मोटर मार्गों की सूची जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष 1974-75 में आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

जिले का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	अनुमानित लागत	वर्ष 74-75 में प्रस्तावित व्यय	वर्ष 1974-75 में आकस्मिक निधि से धन की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6
चमोली (5)	कर्णप्रयाग नौटी सिरसाल गिदेखाल	60-00	1,03,60,000	5,000	2,000

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता प्रथम
सा0नि0वि0 कर्णप्रयाग

हस्ताक्षर अपठनीय
प्रतापसिंह उप सचिव,